राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	3341 / 2025	बबीता कुमारी	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। 3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुन्झुनूं। 4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।
2.	3342 / 2025	सुशीला कुमारी	
3.	3414 / 2025	सुप्यार देवी	

आदेश की दिनांक : 18.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपील पर सुनवाई की गई।

2. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एक समान है इसलिए समस्त अपीलों में समान आदेश पारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3341 / 2025 बबीता कुमारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तथ्य अंकित किए जा रहे है।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यालय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 09.05.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को सीएमएचओ, जैसलमेर में पदस्थापित किया गया। आपदा घोषित होने के कारण अपीलार्थी की सेवाएँ वर्तमान पदस्थापित स्थान से हटा दी गई और उसे जैसलमेर के नियंत्रण में पदस्थापित किया गया है, जिसकी दूरी 530 किलोमीटर से अधिक है और आवंटित विद्यालय तक पहुँचने के लिए कोई सीधा मार्ग नहीं है।यह आदेश प्रतिबंध अवधि के दौरान पारित किया गया है, जो कानून के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पारिवारिक समस्याओं और अपनी शारीरिक स्थिति की अनदेखी करते हुए

दिनांक 09.05.2025 का आदेश पारित किया, जिसके तहत अपीलार्थी को दूरस्थ स्थान पर विस्थापित कर दिया गया है। जीएनएम प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपीलार्थी ने अप्रैल, 2025 के महीने में निदेशालय जयपुर में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की। अपीलार्थी अपनी पसंद के अनुसार अपने गृह जिले और नजदीकी जिले में पदस्थापन हेतु आवेदन करने के बाद, अचानक अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 09.05.2025 जैसलमेर कर दिया गया। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी ने 10.05.2025 (अनुलग्नक–2) द्वारा सीएमएचओ जैसलमेर में कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.05.2025 (अनुलग्नक–3) द्वारा बीसीएमओ फतेहगढ़ के अधीन उप स्वास्थ्य केंद्र सीतोड़ाई में कार्यभार ग्रहण करने के लिए सीएमएचओ जैसलमेर के कार्यालय से कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी को केवल भारत–पाक युद्ध के दौरान ही सीएमएचओ जैसलमेर के अधीन पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी का स्थानांतरण आपदा प्रबंधन के नाम पर अनिश्चित काल के लिए किया गया है, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मनसुख बनाम जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य के मामले में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 10236/2025 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया कि वे सीमावर्ती जिलों में भेजे गए याचिकाकर्ताओं को उनके गृह जिलों में पदस्थापित करने पर विचार करें। कविता बनाम राजस्थान राज्य के मामले में अपील संख्या 2763/2025 में माननीय अधिकरण ने भी पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

4. अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 09.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को उसके गृह जिले या निकटवर्ती जिले में नियुक्ति दिए जाने के मामले पर पुनर्विचार किया जावे।
5. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की

अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
8. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 3341/2025 में एवं छायाप्रति अन्य अपील में संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष